

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26723/2026**

सुखवीर सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : ज्ञान चन्द्र, सौरभ कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66**माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति**

1. प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री विनय कुमार मिश्रा द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सौरभ कुमार मिश्रा, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री विनय कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 144/2026, अंतर्गत धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-अजीतमल, जनपद-औरैया में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक छोटे से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व उसने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका के साथ उत्पीड़न किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त सीमा, जो मृतका की सास हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25893/2026 में दिनांक 28.07.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, आवेदक की भूमिका समान होने के कारण वह समानता के आधार पर भी जमानत पाने का पात्र है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः, अब हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 11.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत दिए जाने के तथ्य तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को देखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025, एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, में दिए गए निर्णय के निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमें में संलिप्त आवेदक- **सुखवीर सिंह**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/जांच में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ के साथ सत्यापित की गई हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करे।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, इटावा के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित तथा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 29.05.2026 को निर्णित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक को 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. आवेदन, यदि कोई हो, उसका भी निस्तारण किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अगस्त 03, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।